

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प टाटर



:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी टाटर व भूअ.नि. चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु/नायब तहसीलदार चूरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम टाटर तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 398 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>टाटर</u>	<u>398</u>	सीताराम पुत्र पीवाराम हिस्सा 1/24 जगि पाण्डे निवासी टाटर खातेदार	सीताराम पुत्र पृक्वीसिंह हिस्सा 1/24 जगि पाण्डे निवासी टाटर खातेदार

(08/10/21)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर, चूरु

दिनांक :- 08-10-2021

क्रमांक :- 73/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सीताराम पुत्र पृक्वीसिंह हिस्सा 1/24 जगि पाण्डे निवासी टाटर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(08/10/21)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर,

चूरु

1761  
9-10-21